न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री ब्रजेश कुमार चान्दोलिया आर.ए.एस.

अपील संख्या:–150/2019 (GCMS No. 2019/00155) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

लक्ष्मीचंद पुत्र बनिया (मृतक)

1/1 मीठालाल
1/2 खुशीराम } पुत्रान स्व. लक्ष्मीचंद
1/3 रामावतार
1/4 श्रीमती सुआबाई पत्नी स्व. लक्ष्मीचंद

} जाति माली निवासी दुरगसी नदी बरखेडा तहसील व जिला करौली।

.....अपीलान्टस

बनाम

1. श्रीमती पानो पुत्री हीरालाल पत्नी कन्हैया जाति माली निवासी काछीपुरा (पण्डा) तहसील व जिला करौली।
2. उगन्ती पत्नि छुट्टन } पुत्रीगण हीरालाल जाति माली निवासी रणगमां का ताल
3. नर्वदा पत्नि रामफूल } करौली।
4. हेमसिंह } पुत्रान स्व. हबूली पुत्री स्व. हीरालाल जाति माली निवासी गौमती
5. छोटू } कॉलोनी, करौली।
6. अंमरचंद } पुत्र बनिया
7. जलसिंह }
8. बत्तू पुत्र मोती

} जाति माली निवासी दुरगसी नदी बरखेडा, तहसील व जिला करौली।

9. बाबू पुत्र गुलाबो पुत्री हीरालाल जाति माली निवासी कोटे तहसील व जिला करौली।
10. ग्राम पंचायत रामपुर धाबाई जरिये सरपंच तहसील व जिला करौली।

.....रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश दिनांक 13.06.2017 उपखण्ड अधिकारी करौली अपील संख्या 1/2015 उनवानी पानो वगै. बनाम ग्राम पंचायत रामपुर धाबाई वगै. बावत् नामांतरकरण संख्या 29 दिनांक 09.03.1968 ग्राम पंचायत रामपुर धाबाई तहसील करौली।

उपस्थिति:–

1. अपीलान्टस की ओर से श्री दुलीचन्द शर्मा, वकील
2. रेस्पो. सं. 1 लगा. 3 व 9 की ओर से महाराजसिंह डागुर, वकील

3. रेस्पो. संख्या 7 व 8 की ओर से श्री उदयवीर कसाना वकील

नि र्ण य **दिनांक : 10.07.2024**

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी करौली के आदेश दिनांक 13.06.2017 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा नामांतरकरण संख्या 29 दिनांक 09.03.1968 को अपीलांट व उसके भाई अमरचन्द के नाम खोला गया। रेस्पो. द्वारा उक्त नामांतरकरण के विरूद्व उपखण्ड अधिकारी करौली के यहॉ अपील लगभग 47 वर्ष बाद पेश मियाद बाहर पेश की गई। उपखण्ड अधिकारी करौली द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.06.2017 से उक्त अपील स्वीकार कर नामांतरकरण संख्या 29 निरस्त कर तहसीलदार करौली को रिमाण्ड कर दिया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगा. 3 व 8 की ओर से श्री महाराजसिंह डागुर वकील एवं रेस्पो. संख्या 7 व 8 की ओर से श्री उदयवीर कसाना वकील उपस्थिति। अन्य रेस्पो. अनुपस्थित।
3. विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष को अपील पर सुना गया।
4. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि नामांतरकरण संख्या 29 दिनांक 09.03.1968 के विरूद्व करीब 58 वर्ष बाद लडकियों की तरफ से उपखण्ड अधिकारी करौली को अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर गौर नहीं किया गया कि दिनांक 09.03. 1968 के नामां. की अपील जुलाई 2015 में की गई, जो स्पष्ट रूप से म्याद बाहर है। म्याद बाहर अपील को सुनने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई कानूनी अधिकार नहीं था। अतः निर्णय क्षेत्राधिकार से बाहर एवं इनीशियों वॉईड है। लोक अदालत में पक्षकारों की सहमति से ही प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है। बिना बहस सुने कैम्प में प्रकरण का निस्तारण नहीं किया जा सकता है। अपीलांट विवादित सम्पत्ति का खातेदार काश्तकार है तथा वह कैम्प में उपस्थित नहीं था तो ऐसी स्थिति में प्रकरण में कोई निर्णय न कर पत्रावली वापस न्यायालय को प्रेषित करनी चाहिए थी। नामांतरकरण दिनांक 09.03.1968 को स्वीकृत होकर अपीलांट एवं उसके भाई रेस्पो. संख्या 6 अमरचन्द के नाम खातेदारी दर्ज हो गई व ताहाल तक काश्त करते चले आ रहे हैं। अमरचन्द ने अपना निष्फ हिस्सा अन्य लोगों को वय कर दिया व निष्फ की मौजूदा भूमिखण्डों पर अकेले अपीलांट की भूमि खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। क्रेता को पक्षकार नहीं बनाया गया। अमरचन्द द्वारा वय की गई भूमि के विक्रय विलेखों को निरस्त नहीं किया जा सकता है और न ही उक्त

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

नामांतरकरण के निरस्त होने से कोई प्रभाव क्रेतागण या विक्रेता के अधिकारों पर पडता है। इतने लम्बे समय से चली आ रही खातेदारी की प्रविष्टियों को उक्त आदेश से निरस्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। नामांतरकरण एक संक्षिप्त कार्यवाही है जिसमें पक्षकारों के हक तय नहीं होते हैं। अपीलांट 47 साल से अधिक समय से काबिज खातेदार है तथा रेस्पो. संख्या 1 लगायत 5 व 9 के सभी कानूनी अधिकार समाप्त हो चुके हैं। उनके अधिकार मात्र नियमित वाद से ही सक्षम न्यायालय में ही तय हो सकते है। नामांतरकरण के प्रकरण में तय नहीं हो सकते हैं। उक्त तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। रेस्पो. संख्या 1 लगायत 5 का विवादित आराजी पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद के बिन्दु को दरकिनार कर निर्णय पारित किया गया है। अपील पेश करने की अवधि 12 वर्ष निर्धारित है। रेस्पो. को नामांतरकरण की जानकारी नामांतरकरण तस्दीक की दिनांक से ही थी। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.06.2017 निरस्त किया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्टस द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत सिजरा के अनुसार हीरालाल की 6 पुत्रियॉ थी तथा यह स्वीकृत तथ्य है कि वे हीरालाल की वारिस हैं। अपीलांटान वारिस नहीं है। मजमे आम के बाद ग्राम पंचायत के वारिसान की जॉच करने के बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है। अपीलांटान एवं रेस्पो. उपस्थित थे। नामांतरकरण विधिक प्रावधानों के विरूद्व स्वीकृति किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामांतरकरण को निरस्त कर तहसीलदार को रिमाण्ड किया गया है। अपीलांट का यह कथन कि उसे नामांतरकरण की दिनांक से ही जानकारी थी ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। खरीददार को सजग रहना चाहिए। इससे मेरे हकों पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता है। बेचान से पुत्रियों के हकों पर कोई प्रभाव नहीं है। काश्त कर रही हैं। अधीनस्थ न्यायालय में जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मियाद पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं विधि सम्मत है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उपखण्ड अधिकारी करौली द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13.06.2017 में अंकित किया गया है कि "नामांतरकरण संख्या 29 ग्राम बरखेडा तहसील करौली दिनांक 09.03.1968 से विवादित आराजीयात हीरालाल पुत्र कलुआ कौम काछी निवासी दुर्गसीघटा की खातेदारी में अंकित रही है। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट मृतक हीरालाल पुत्र कलुआ के वारिसान हैं। अधीनस्थ न्यायालय रेस्पो. नं. 1 द्वारा नामांतरकरण संख्या 29 दिनांक 09.03.1968 अपीलांट को बिना सुने व नोटिस दिये

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

रेस्पो. संख्या 2 व 3 के हक में स्वीकृत किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के विपरीत है और एक पक्षीय है। जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक हीरालाल के वारिसान की जॉच नहीं कर विधि प्रावधानों के विपरीत स्वीकृत किया गया है। जो विधि सम्मत नहीं है और निरस्त किये जाने योग्य है। अतः नामांतरकरण संख्या 29 दिनांक 09.03.1968 अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत रामपुर धावाई रेस्पो. नं. 1 बावत् नामांतरकरण संख्या 29 ग्राम बरखेडा तहसील करौली निरस्त किया जाकर सुनवाई को तहसीलदार को उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें।

इस प्रकार पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का द्वारा नामांतरकरण भरते समय मृतक हीरालाल के प्रथम श्रेणी वारिसान की जॉच नहीं की गई। पत्रावली दिनांक 13.06.2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प ग्राम पंचायत रामपुर धावाई में पेश हुई तथा उसमें अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट नं. 1 व 3, 5 मय वकील उपस्थित हुये तथा रेस्पो. नं. 1, 4, 5 स्वयं उपस्थित हुये। उभयपक्षकारों को सुना गया। इस प्रकार अपीलांट का यह कथन कि अपीलांट को सुना नहीं गया और बिना बहस के निर्णय पारित कर दिया गया। गलत है। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया कि रेस्पो. को विवादित नामांतरकरण की कोई जानकारी थी। रेस्पोडेन्टान पानो, उगन्ती, नर्वदा, हबूली एवं गुलाबो पुत्री नहीं हों ऐसा भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। हीरालाल की पुत्री होना स्वीकृत तथ्य है। पुत्रियां अपने पिता की सम्पत्ति में प्रथम श्रेणी की वारिस हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई विधि के अनुरूप अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज किये योग्य है।

8. फलस्वरूप अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली का निर्णय दिनांक 13.06.2017 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ वापिस लौटाई जावें।
9. निर्णय आज दिनांक 10.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/7/24

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर